संख्या-67/2021/2022 ई-2/तेरह-2021-229885

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 12 अक्टूबर,2021

विषय- मेसर्स डालमियां चीनी मिल्स,(आसवनी इकाई)जवाहरपुर,जनपद सीतापुर को केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल उत्पादन किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-54/दो-प्रा.डी.-107 दिनांक 29 सितम्बर,2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 . इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव / संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में मेसर्स डालमियां चीनी मिल्स,(आसवनी इकाई) जवाहरपुर, जनपद सीतापुर को शीरे के अतिरिक्त केन जूस / शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती कि आसवक द्वारा केन जूस / शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शीरे के साथ - साथ केन जूस / शुगर सीरप से भी एथनॉल निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए आयुक्त,गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 10-09-2021 द्वारा जिन शर्तो/ प्रतिबन्धों के साथ गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से सीधे एथनॉल/अल्कोहल उत्पादन करने हेतु अनापत्ति इकाई को निर्गत की गयी है का अनुपालन करते हुए शासनादेश दिनांक 23-02-2021 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उक्त के अतिरिक्त आसवक को निम्न लिखित शर्तो का भी अनुपालन करना होगा:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए अल्कोहल उत्पादन का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तें।

(3) आसवक द्वारा केन जूस / शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शीरे के साथ - साथ केन जूस / शुगर सीरप से भी एथनॉल निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।